न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (S.D.O.) शिवगंज, जिला–सिरोही

पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, R.A.S

प्रार्थी		अप्रार्थी
गणपतसिंह पुत्र कानसिंह जी जाति राजपूत निवासी कैलाशनगर तह0 शिवगंज	बनाम	1.तगाराम पुत्र चुनाजी जाति भील निवासी लोटीवाडा तह0 शिवगंज 2.करताराम पुत्र समा जाति भील निवासी समदडी हाल कैलाशनगर 3.सहा. अभियंता, सा0नि0 विभाग शिवगंज 4.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिवगंज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ शिवगंज (राजस्थान)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–:निर्णय:– राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या– 88/2025

दिनांक 07.11.2025

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अप्रार्थीगणों का इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 3320/6 कुल रकबा 0.2428 हैक्टयर, किस्म आबादी, मौजा कैलाशनगर–2, पटवार हल्का कैलाशनगर–2, भू.अभि.नि कैलाशनगर, तहसील शिवगंज में स्थित हैं। प्रार्थी उक्त विवाद ग्रस्त आबादी भूमि का एक मात्र मालिक हैं तथा वाद ग्रस्त भुमि के पडौसी मौजा कैलाशनगर–2 के खसरा सं. 3320/7 रकबा 0.0728 हैक्टयर जो अप्रार्थी सं. 01 के नाम से इन्द्राज दर्ज है एवं खसरा सं. 3320/8 रकबा 0.1376 हैक्टयर जो अप्रार्थी सं. 02 के नाम से इन्द्राज है एवं खसरा सं. 3320/1 रकबा 0.1619 हैक्टयर जो अप्रार्थी सं. 03 के नाम इन्द्राज है। उक्त वाद ग्रस्त भूमि पर प्रार्थी बहैसियत मालिक होकर उपयोग व उपभोग करता आ रहा हैं तथा जिसके कब्जे व खातेदारी को लेकर मौके पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं हैं। प्रार्थी उक्त वादग्रस्त भूमि के खरीद के वक्त से प्रार्थी का मौके पर कब्जा है तथा बहैसियत मालिक के काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहे थे। उक्त वादग्रस्त आराजी का तरमीमशुदा नक्शा जब प्रार्थी के जानकारी में आया तों ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि का तरमीम नक्शा कब्जा मौका के अनुसार दर्ज नहीं हुआ। उक्त वादग्रस्त भूमि का तरमीम करते वक्त नक्शें में सीमांकन सहीं दर्ज नहीं किया गया। प्रार्थी के खसरा सं. 3320/6 के स्थान पर खसरा से. 3320/09 दर्शाया गया है जबकि प्रार्थी का कब्जा खसरा सं. 3320/6 पर है तथा प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के भी खसरा सं. 3320/6 ही खरीद किया था। जब प्रार्थी खसरा सं. 3320/6 पर काबिज मालिक है। गलत तरमीम होने से भविष्य में इस बाबत् किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो सकता है जिस कारण प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः उक्त विवाद ग्रस्त भूमि के मौका नक्शा में न्यायहित में शुद्धी किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा सं. 3320/9 के स्थान पर खसरा सं. 3320/6 कब्जा मौका के अनुसार नक्शें में सुधार करने के आदेश प्रदान करना फरमायें।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई जिस पर तहसीलदार शिवगंज ने रिपोर्ट में अवगत कराया है कि श्रीमान के न्यायालय में दर्ज प्रकरण संख्यां 98/2010 के निर्णय की छायांप्रति का अवलोकन तथा जांच करने पर राजस्व रेकर्ड में ग्राम कैलाशनगर–2 के खसरा नं0 3320/7 के स्थान पर 3320/9 को दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की गई है। अतः तहसीलदार शिवगंज ने प्रस्तावित ऑनलाईन नक्शा में हुई त्रुटि को शुद्धि किया जाना उचित बताया गया है। दिनांक 07.11.2025 को अप्रार्थी सं0 1 व 3 ने उपस्थित होकर अपनी सहमति दी गई। व अप्रार्थी सं0 2 का नोटिस तामील होने के उपरांत भी अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर इनका जवाब बंद किया गया। इसी दिन प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र पर बहस की जिसे सुना गया।

लगातार पेज–2

उपखण्ड अधिकारी
(सिरोही)

प्र0सं0–88 / 2025
गणपतसिंह बनाम तगाराम व अन्य
अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

हमनें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र व तहसीलदार शिवगंज द्वारा भिजवाये गये जवाब पर की गई बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया तो हमने पाया कि दस्तावेजी साक्ष्यों से भी प्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है अतः हम वर्तमान तरमीम को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित समझते है।

–::आदेश::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान तरमीम को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार शिवगंज को आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में **मौजा कैलाशनगर–2 पटवार हल्का कैलाशनगर–2 तहसील शिवगंज के तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित नक्शा** अनुसार खसरा नम्बर 3320 / 9 के स्थान पर खसरा नं0 3320 / 6 व प्रभावित होने वाले अन्य खसरा नम्बरान की तरमीम **स्वीकृत प्रस्तावित नक्शा अनुसार त्रुटि को दुरूस्त किया जावे। स्वीकृत प्रस्तावित नक्शा को आदेश का अभिन्न अंग माना जावे।** तहसीलदार शिवगंज को उक्त निर्णय तथा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां भेजकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नं0 से कम हो।

यह निर्णय / आदेश आज दिनांक 07.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(नीरज मिश्र, **R.A.S**)
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

शिवगंज (सिरोही)

क्रमांक / कोर्ट / 2025 / 616

दिनांक 07.11.2025

प्रतिलिपि पालनार्थ हेतु :–
तहसीलदार शिवगंज ।

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)